सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 63/16 **निर्णय दिनांकः—12.03.2018**

1. बलकरनसिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी नवाधन बास वार्ड नम्बर 3 मण्डी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट

—बनाम—

1. निछतरसिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 40 केवाईडी हाल आबाद चक 1 एसटीआर तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. बिकरसिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 6 पीएचएम(बी) तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. सुखपाल सिंह कौर पत्नी टेकसिंह निवासी चक 6 पीएचएम(बी) तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
4. गुरमीतसिंह पुत्र टेकसिंह निवासी चक 6 पीएचएम(बी) तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
5. गुरजीत सिंह पुत्र टेकसिंह निवासी चक 6 पीएचएम(बी) तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
6. मनजीत कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 पीएचएम(बी) तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
7. बलविन्द्रसिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 पीएचएम(बी) तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
8. भूपेन्द्र सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 पीएचएम(बी) तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला
दिनांक 31—01—2003

उपस्थितः

1. श्री नायब सिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 31—01—2003 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा बंटवारे का दावा गलत रूप से डिक्री किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निछतर सिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बिकर सिंह एवं टेक सिंह व जसकरण सिंह पॉच सगे भाई है जिसमें टेक सिंह की मृत्यु वर्ष 2015 में हो चुकी है। उसके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं 5 है। जसकरण की मृत्यु भी अगस्त, 2015 में हो चुकी है जिसके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 8 है। जिन्हें पक्षकार बनाया गया है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के पति व पिता टेकसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 8 के पति एवं पिता जसकरण की संयुक्त एवं अलग—अलग खरीदशुदा भूमि तहसील खाजुवला के चक 4 पीएचएम के मुरब्बा नम्बर 139/43 की 24 बीघा 13 बिस्वा एवं चक 6 पी. एच.एम. (बी) के मुरब्बा नम्बर 140/59 की 24 बीघा 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 49 बीघा 3 बिस्वा खातेदारी भूमि स्थित है। इसी प्रकार तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में चक 39 एल.एल.डब्ल्यू का पत्थर संख्या 0/236 में 8 बीघा 6(3/4)बिस्वा एवं पत्थर संख्या 0/238 में 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि एवं पीलीबंगा के ही चक 25 जे.आर.के. के पत्थर संख्या

19/251 के किला नम्बर 11, 12, 16 ता 25 में 11 बीघा 10 बिस्वा व पत्थर संख्या 19/253 जो वर्तमान में 19/252 के किला नम्बर 1 में 18 बिस्वा, किला नम्बर 2 में 14 बिस्व इस प्रकार कुल 13 बीघा 2 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निछतरसिंह ने उक्त संयुक्त खाते की भूमि में से अपना पूरा हिस्सा जो कि 13 बीघा 2 बिस्वा बनता था, पूर्व में विक्रय कर दिया गया था केवल चक 39 एल.एल.डब्ल्यू की पत्थर संख्या 0/238 में जो 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि थी में उसका हिस्सा शेष रहा है। अपीलांट व उसके चार सगे भाईयों के बीच आपसी सहमति से एक घरेलू बंटवारा उक्त तमाम कृषि भूमि के बाबत् दिनांक 28—03—1997 को किया जा चुका है। जिसे सभी पक्षों की सहमति से लिखित किया गया। इस घरेलू बंटवारें के अनुसार अपीलांट बलकरण सिंह को चक 25 जे.आर.के. के पत्थर संख्या 19/251 का किला नम्बर 11, 12, 16 ता 25 की 11 बीघा 10 बिस्वा और पत्थर संख्या 19/253 जो वर्तमान में 19/252 बने है के किला नम्बर 1 की 18 बिस्वा व किला नम्बर 2 की 14 बिस्वा इस प्रकार कुल 13 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रदान की गई एवं चक नम्बर 39 के एल.एल.डब्ल्यू के पत्थर संख्या 0/238 की 2 बीघा 15 बिस्वा पॉच भाईयों के पास रखने की सहमति प्रदान की गई। इसी बंटवारे के अनुसार निछतर सिंह ने अपना हिस्सा बेच दिया था इसलिए उसका कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि टेक सिंह एवं बिकर सिंह ने एक बंटवारे का दावा उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वाद में वादीगण के मन में बेईमानी आ गई तथा उनके द्वारा दावें में टेक सिंह एवं बिकर सिंह को चक 6 पी.एच.एम बी का मुरब्बा नम्बर 140/59 की आधी—आधी भूमि बंटवारें में अपनी होना अंकित करवाया और रेस्पोडेन्ट जसकरण सिंह को चक 4 पीएचएम के मुरब्बा नम्बर 139/43 की 24 बीघा 13 बिस्वा भूमि दिये जाने का अंकन करते हुए अपीलांट को पीलीबंगा में स्थित भूमि देने का हवाला देकर छोड़ दिया गया जिसके लिए डिक्री में कोई मांग नहीं की गई। जबकि पारिवारिक लिखित समझौते में यह तय किया गया था कि वादीगण दोनो जगह की भूमि का बंटवारा लिखित

समझौते के अनुसार करवाकर तहसील पीलीबंगा के चक 25 जे.आर.के. की 13 बीघा 2 बिस्वा भूमि अपीलांट बलकरण के नाम दर्ज करवाने की डिक्री प्राप्त करेंगें ताकि दोनों जगह की भूमि के बंटवारे की डिक्री एक ही जगह से प्राप्त की जा सके।

अदालत मातहत के समक्ष वादीगण द्वारा कूटरचित हस्ताक्षर करके इकबाली जवाब दावा पेश करवाया गया जिस पर फर्जी हस्ताक्षर करवाये गये है। टेक सिंह एवं जसकरण सिंह ने मिली भगत करके अपीलांट बलकरन सिंह के फर्जी हस्ताक्षर करवा कर चक 4 पी.एच.एम. व चक 6 पी.एच.एम की भूमि अपने नाम करवा ली गई। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट गुरमुखी में हस्ताक्षर नहीं करता बल्कि अग्रेंजी में हस्ताक्षर करता है। घरेलू बंटवारें में भी उसके हस्ताक्षर अग्रेंजी में ही है। चूंकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सगे भाई है ऐसी स्थिति में उन पर विश्वास करते हुए पीलीबंगा की जमीन पर काश्त करता आ रहा है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष किसी प्रकार का कोई इकबाली दावा पेश नहीं किया गया है। अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर करके डिक्री प्राप्त की गई है ऐसी स्थिति में डिक्री फ्रोड करके व तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश करके प्राप्त की गई है जो निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि चक 6 पी.एच.एम बी एवं चक 4 पी.एच.एम की 49 बीघा 3 बिस्वा भूमि का इंतकाल उनके नाम दर्ज हो चुका है व इसी आधार पर वे उक्त दोनो चकों की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वे सभी पक्षों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे। अपने कथन के समर्थन में 1999 आर.आर. डी. पेज 43, 2013 आर.एल.डब्ल्यू पार्ट I पेज 269, आरआरडी 1998 पेज

465, आरआरडी 2009 पेज 195, आरआरडी 1992 पेज 17 की नजीर पेश की।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्व अदालत हाजा के समक्ष अपील करीब 12 वर्ष 6 माह उपरान्त प्रस्तुत की गई है। जोकि अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में हुई देरी को कण्डोन करने का कोई ठोस कारण न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपीलां की अपील मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने गुणावगुण बहस पर कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सगे भाई है तथा उनके मध्य पारिवारिक बंटवारा हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त पारिवारिक बंटवारें के अनुसार अपीलांट का वादगत् भूमि जो खाजुवाला में स्थिति है में कोई हक व हिस्सा नहीं है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की ही अपील प्रस्तुत की गई है फाईनल डिक्री की अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि विधि अनुसार दोनों डिक्री की अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। जबकि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 29—01—2004 को मामलें में फाईनल डिक्री जारी की जा चुकी है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा चूंकि वाद में प्रतिवादी द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने पर ही वाद को स्वीकार करते हुए सभी पक्षकारों को उनके मध्य हुए राजीनामें दिनांक 28—03—1997 के अनुसार अपने—अपने हिस्से पर काबिल काश्त के अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की गई जिसके अनुसार टेक सिंह का हिस्सा चक 6 पीएचएम बी के मुरब्बा नम्बर 140/59 में 12.05 बीघा, बीकर सिंह का हिस्सा चक 6 पीएचएम बी के मुरब्बा नम्बर 140/59 में 12.05 बीघा व जसकरण का हिस्सा चक 4 पीएचएम के मुरब्बा नम्बर 139/43 में 24.13 बीघा निर्धारित किया गया तथा तत्पश्चात् मामलें में इसी अनुरूप फाईनल

डिक्री पारित की गई। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामें के अनुसार ही प्राथमिक व फाईनल डिक्री पारित की गई है व सभी पक्षकार उक्त डिक्री अनुसार अपने—अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का निर्णय विधि अनुसार होने से आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2009 पेज 473, आरआरटी 2015 पार्ट II पेज 232 (एचसी), आरआरटी 2015 पार्ट I पेज 168 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31—01—2003 के विरुद्व अपील दिनांक 07—09—2016 को पेश की। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलांट की अपील मियांद क बिन्दु पर खारिज किये जाने का कथन किया है। चूंकि अपील में मेरिट के तथ्य है इसलिए मियांद पर उदार रुख रखते हुए अपील में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत द्वारा उक्त दावा पक्षकारों के मध्य दिनांक 28—03—1997 को हुए राजीनामें के आधार पर व प्रतिवादीगण द्वारा मामलें में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत करने पर उक्त राजीनामें के अनुसार दावा डिक्री किया गया।

(3) मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के पति व पिता टेकसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 8 के पति एवं पिता जसकरण की संयुक्त एवं

अलग—अलग खरीदशुदा भूमि तहसील खाजुवला के चक 4 पीएचएम के मुरब्बा नम्बर 139/43 की 24 बीघा 13 बिस्वा एवं चक 6 पी.एच.एम. (बी) के मुरब्बा नम्बर 140/59 की 24 बीघा 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 49 बीघा 3 बिस्वा खातेदारी भूमि स्थित है।

इसी प्रकार तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में चक 39 एल.एल. डब्ल्यू का पत्थर संख्या 0/236 में 8 बीघा 6(3/4)बिस्वा एवं पत्थर संख्या 0/238 में 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि एवं पीलीबंगा के ही चक 25 जे.आर. के. के पत्थर संख्या 19/251 के किला नम्बर 11, 12, 16 ता 25 में 11 बीघा 10 बिस्वा व पत्थर संख्या 19/253 जो वर्तमान में 19/252 के किला नम्बर 1 में 18 बिस्वा, किला नम्बर 2 में 14 बिस्व इस प्रकार कुल 13 बीघा 2 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

(4) अपीलांट व उसके चार सगे भाईयों के बीच आपसी सहमति से एक घरेलू बंटवारा उक्त तमाम कृषि भूमि के बाबत् दिनांक 28—03—1997 को किया जा चुका है। जिसे सभी पक्षों की सहमति से लिखित किया गया। इस घरेलू बंटवारें के अनुसार अपीलांट बलकरण सिंह को चक 25 जे.आर. के. के पत्थर संख्या 19/251 का किला नम्बर 11, 12, 16 ता 25 की 11 बीघा 10 बिस्वा और पत्थर संख्या 19/253 जो वर्तमान में 19/252 बने है के किला नम्बर 1 की 18 बिस्वा व किला नम्बर 2 की 14 बिस्वा इस प्रकार कुल 13 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रदान की गई एवं चक नम्बर 39 के एल.एल.डब्ल्यू के पत्थर संख्या 0/238 की 2 बीघा 15 बिस्वा पॉच भाईयों के पास रखने की सहमति प्रदान की गई।

(5) अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दावें में खाजुवाला स्थिति भूमि का तो राजीनामें के अनुसार डिक्री पारित कर दी गई जबकि उक्त दावें में ही पीलीबंगा स्थित भूमि का विवरण देते हुए पक्षकारों के मध्य राजीनामें के अनुसार बंटवारा किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए था। उक्त राजीनामें में सभी पक्षकारों द्वारा यह तय किया गया था कि अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत दावें में सभी भूमि का बंटवारा करायेंगे।

(6) अपीलांट का कथन यह भी है कि अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत दावे में उसके द्वारा न तो कोई वकील नियुक्त किया गया व ना ही इकबाली जवाब दावा पर किसी प्रकार के कोई हस्ताक्षर अंकित किये गये। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने मिली भगत करते हुए अपीलांट बलकरण सिंह के फर्जी हस्ताक्षर वकालतनामें पर व इकबाली दावें में करते हुए चक 4 पी. एच.एम व 6 पी.एच.एम स्थित भूमि अपने नाम करवा ली गई है। जबकि अपीलांट गुरमुखी में हस्ताक्षर नहीं करता वह अग्रेंजी में करता है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य की जॉच किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(7) रेस्पोडेन्ट टेक सिंह एवं बिकर सिंह को चक 6 पी.एच.एम बी का मुरब्बा नम्बर 140/59 की आधी—आधी भूमि बंटवारें में अपनी होना अंकित करवाया और रेस्पोडेन्ट जसकरण सिंह को चक 4 पीएचएम के मुरब्बा नम्बर 139/43 की 24 बीघा 13 बिस्वा भूमि दिये जाने का अंकन करते हुए अपीलांट को पीलीबंगा में स्थित भूमि देने का हवाला देकर छोड़ दिया गया जिसके लिए डिक्री में कोई मांग नहीं की गई। जबकि पारिवारिक लिखित समझौते में यह तय किया गया था कि वादीगण दोनो जगह की भूमि का बंटवारा लिखित समझौते के अनुसार करवाकर तहसील पीलीबंगा के चक 25 जे.आर.के. की 13 बीघा 2 बिस्वा भूमि अपीलांट बलकरण के नाम दर्ज करवाने की डिक्री प्राप्त करेंगें ताकि दोनों जगह की भूमि के बंटवारे की डिक्री एक ही जगह से प्राप्त की जा सके। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामें दिनांक 28—03—1997 के अनुसार प्राथमिक व फाईनल डिक्री पारित की गई है जो प्रथम दृष्टया उक्त राजीनामें के अनुसार पारित किया जाना साबित नहीं है।

9. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला दिनांक 31—01—2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे पक्षकारों के मध्य राजीनामें दिनांक 28—03—1997 के अनुसरण में अपीलांट को सुनवाई व

सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

10. निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर